न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी– तेजस्वी राणा (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
225/2019	18.06.2019	06.02.2020

देवीलाल पिता सोहनलाल महाजन आयु वयस्क निवासी घोसुण्डा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ राज0।

प्रार्थी

बनाम

तुलसीराम पिता मोडा भोई आयु वयस्क निवासी घोसुण्डा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ राज0।

अप्रार्थी

उपस्थिति :– अधिवक्ता श्री ललित लढ़ा प्रार्थी।
अधिवक्ता श्री केसी उपाध्याय अप्रार्थी।

–:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम::–

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना–पत्र अप्रार्थी गण के विरूद्ध प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा घोसुण्डा पटवार हल्का घोसुण्डा तहसील व जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2066–2069 के खाता संख्या 549 में अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 1243, 1244, 1245 कृषि भूमि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और अप्रार्थीगण आराजियात जैर–बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है अतः प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा–चिन्ह स्थापित किया जावें। प्रार्थीगण वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किया गया। दिनांक 02.07.2019 को अप्रार्थी की और से उनके अधिवक्ता हाजिर आये एवं अधिकार पत्र पेश किया। दिनांक 06.02.2020 को अप्रार्थी की और से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने से जवाब प्रार्थना पत्र बंद किया गया। इस पर विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा बहस एक तरफा हेतु निवेदन किया जाकर प्रकरण का निस्तारण किये जाने की ईश्तदुआ की गई। इस पर उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा की गई बहस प्रार्थना–पत्र को सुना गया। पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा की गई बहस प्रार्थना पत्र का मनन किया। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थी आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार हो कर इन्हें आराजीयात जैर–बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम मे प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार सह काश्तकार होने से सीमाज्ञान कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार चित्तौड़गढ़ को सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार चित्तौड़गढ़ को आदेश दिया जाता है कि मौजा घोसुण्डा पटवार हल्का घोसुण्डा तहसील व जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2066–2069 के खाता संख्या 549 में अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 1243, 1244, 1245 कृषि भूमि की फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन (पत्थरगढी) किया जावे एवं पर्चा मौका एवं मौका नक्शा 15 दिवस में इस न्यायालय में प्रस्तुत करे। सीमांकन (पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार चित्तौड़गढ़ को 800/– रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करें। तहसीलदार चित्तौड़गढ़ को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावें। निर्णय आज दिनांक को **<u>06.02.2020</u>** खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(तेजस्वी राणा)(I.A.S.)
सहायक कलेक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़

क्रमांक/सरिश्ता 5-01(225)2019/06.02.2020/ दिनांक 06 फरवरी, 2020

निमित,

तहसीलदार,
चित्तौड़गढ़

विषय :- बाबत् पत्थरगढ़ी।

अनवान

देवीलाल पिता सोहनलाल महाजन आयु वयस्क निवासी घोसुण्डा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ राज०।

प्रार्थी

बनाम

तुलसीराम पिता मोडा भोई आयु वयस्क निवासी घोसुण्डा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ राज०।

अप्रार्थी

प्रकरण संख्या :- 225/2019
(RCMS 2019/00170)

-:: प्रार्थना पत्र बाबत् कराये जाने पत्थर गढ़ी ::-

उपरोक्त अनवान से संबंधित प्रकरण में आपको 800/- रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मौजा **घोसुण्डा** पटवार हल्का घोसुण्डा तहसील व जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2066-2069 के खाता संख्या **549** में अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या **1243, 1244, 1245** कृषि भूमि की फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित किये जाये एवं कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करें।

(तेजस्वी राणा)(I.A.S.)
सहायक कलेक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Tejasvi Rana
Date: 2020.02.09 14:32:57 IST
Reason: SelfAttested
Location: